

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड द्वितीय

खनिज भवन, आर.के राजकीय चिकित्सालय के सामने, वाईपास रोड, राजसमन्द

Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address – me.rajsamand2@rajasthan.gov.in

क्रमांक: खअ 11/अना./नीलामी/2019-20/984

दिनांक: 12.3.2020

–नीलामी सूचना (संशोधित)–

इस कार्यालय की नीलामी सूचना क्रमांक 1962 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा अनाधिकृत खनन/निर्गमन के तहत इस खण्ड के क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर जवत खनिज वजरी की खुली नीलामी दिनांक 20.03.2020 को रखी गई हैं जिसमें विभिन्न स्थानों पर पडी वजरी की नीलामी इस कार्यालय में की जानी हैं जिसमें वजरी की मात्रा व अर्नेस्ट मनी निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं–

क्र.स.	स्थान	अनुमानित मात्रा	अर्नेस्ट मनी
1	पुलिस लाईन, राजसमन्द।	300 टन	2100 / –
2	पछमता तहसील रेलमगरा।	50 टन	500 / –
3	दरीवा तहसील रेलमगरा।	150 टन	1050 / –
4	छतरीखेडा तहसील रेलमगरा	1500 टन	10500 / –
5	पछमता तहसील रेलमगरा	300 टन	2100 / –

शेष शर्तें यथावत रहेगी, जिसे इस कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता हैं।

खनि अभियन्ता,

राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

दिनांक:–

क्रमांक:–खअ/राज-11/अना./नीलामी/2019-20/

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना एवं शर्तों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करावे।
- अतिरिक्त निदेशक(खान), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर जोन उदयपुर।
- वित्तीय सलहाकार, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान-उदयपुर।
- अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द वृत राजसमन्द।
- कोषाधिकारी राजसमन्द को भेजकर निवेदन है कि नीलामी कार्य हेतु अपने एक प्रतिनिधि लेखाकर्मी को भिजवाने का श्रम करावें।
- संपादक राजस्थान पत्रिका राजसमन्द को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना अपने राजसमन्द व उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में डीआईपीआर के अनुमोदित दरों पर प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
- थानाधिकारी पुलिस थाना, कांकरोली।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान-उदयपुर पर चस्पा हेतु।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा पर चस्पा हेतु।

खनि अभियन्ता,

राजसमन्द खण्ड द्वितीय।